ई–मेल/
स्पीड पोस्ट

बिहार सरकार
श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग
श्रमायुक्त कार्यालय, बिहार, पटना

–: कार्यालय आदेश :–

श्री सरयुग बिन्द अध्यक्ष, बिहार राज्य मिट्टी कट्टी संघ, झरखा पालीगंज, पटना द्वारा प्राप्त शिकायत के आलोक में संयुक्त जाँच दल द्वारा झरखा पालीगंज (प्रखंड), पटना जिला में विवाह सहायता योजना अंतर्गत आवेदकों एवं लाभुकों का स्थलीय जाँच दिनांक–08.12.2025 एवं 15.12.2025 को किया गया।

2. जाँच के क्रम में बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत संचालित विवाह सहायता योजना हेतु किये गये आवेदन के संबंध में लाभुकों से पूछताछ की गई एवं उनका बयान दर्ज किया गया।

3. स्थलीय जाँच एवं उपलब्ध कराये गए जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट पाया गया कि सुश्री कुमारी अनामिका, तत्कालीन श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी, पालीगंज, सम्प्रति श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी, सम्पतचक, पटना द्वारा लाभुकों का किसी भी स्तर पर जाँच नहीं किया जा रहा हैं, और बिना जाँच के हीं दलाल के माध्यम से योजनाओं की स्वीकृति दी जा रही है। सुश्री कुमारी अनामिका का यह आचरण उनके कार्य एवं दायित्वों के विरुद्ध एवं बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम 3(1) का उल्लंघन है।

4. उक्त के आलोक में विभागीय पत्रांक–7292 दिनांक–18.12.2025 द्वारा सुश्री कुमारी अनामिका, तत्कालीन श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी, पालीगंज, सम्प्रति श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी, सम्पतचक, पटना को पत्र प्राप्ति के 24 घण्टे के अन्दर स्पष्टीकरण समर्पित किए जाने का निदेश दिया गया। सुश्री अनामिका से ससमय स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने की स्थिति में उनके विरूद्ध विभागीय पत्रांक–7426 दिनांक–24.12.2025 द्वारा आरोप–पत्र गठित कर उक्त आरोप से संबंधित आरोप–पत्र तथा आरोप के मदों को सिद्ध करने वाले साक्ष्य/अभिलेखों की प्रतियाँ संलग्न करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17/19 के आलोक में अपना बचाव का लिखित अभिकथन समर्पित करने हेतु निदेशित किया गया।

5. विभागीय पत्रांक–7426 दिनांक–24.12.2025 के आलोक में सुश्री कुमारी अनामिका, तत्कालीन श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी, पालीगंज, सम्प्रति श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी, सम्पतचक, पटना द्वारा उनके कार्यालय पत्रांक–67 दिनांक–29.12.2025 के माध्यम से आरोप–पत्र पर बचाव का लिखित अभिकथन उपलब्ध कराया गया।

6. सुश्री कुमारी अनामिका द्वारा आरोप–पत्र पर समर्पित बचाव का लिखित अभिकथन के समीक्षोपरान्त उनके विरूद्ध **"असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतनवृद्धि धारित करने की शास्ति अधिरोपित किया जाता है।"**

21/1/26

(राजेश भारती)
श्रमायुक्त, बिहार।

Draft-Krishna G. (1)

ज्ञापांकः– 5/आर०एल०–40–175/2025 श्र०सं०– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

21/1/26

श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांकः– 5/आर०एल०–40–175/2025 श्र०सं०– 414 पटना, दिनांक– 22/1/26

प्रतिलिपिः– उप श्रमायुक्त, पटना प्रमंडल, पटना /श्रमायुक्त के सचिव/ आई० टी० मैनेजर श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग/ सुश्री कुमारी अनामिका, तत्कालीन श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी, पालीगंज, सम्प्रति श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी, सम्पतचक, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. आई० टी० मैनेजर श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

21/1/26

श्रमायुक्त, बिहार।